

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1683/2013/सीकर

अपील संख्या 1684/2013/सीकर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन, वृत्त-प्रथम, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स एमीनेन्ट कम्यूनिकेशन प्रा.लि.

रींगस, जिला-सीकर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

श्री एस.के.जैन

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 25.07.2014


निर्णय


ये दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 296/आरवैट/एपीपी-111/सीकर/12-13 एवं अपील संख्या 297/आरवैट/एपीपी-111/सीकर/12-13 में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 04.03.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें उन्होंने द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 7.11.2012 को पारित कर आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया गया है। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित है तथा इनमें विवादित बिन्दु समान है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ पृथक-पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 26 दिनांक 08.05.2012 की अनुपालना में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर द्वारा दिनांक 08.05.2012 को मय टीम के साथ किया गया। फर्म के व्यवसाय स्थल की जांच अभियोजना अधिकारी द्वारा श्री जीवराज सिंह तंवर, बिजनैस मैनेजर व श्री.एस.के.सिंह, मैनेजर फ़ैक्ट्री की उपस्थिति में की गई। फर्म में बिजली केवल का विनिर्माण व खरीद/बिक्री का कारोबार किया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी की फ़ैक्ट्री पर उपस्थित पाये गये मैनेजर श्री एस.के.सिंह के बयान अभियोजन अधिकारी द्वारा लिये गये जिसमें श्री सिंह ने अभियोजन अधिकारी के

समक्ष बयान दिया कि उनके द्वारा बिजली केबल का विनिर्माण कर लगभग समस्त बिक्री बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फरीदाबाद को की जाती है। फर्म के जयपुर कार्यालय में श्री जीवराज सिंह तंवर, बिजनेस मैनेजर उपस्थित मिले जिन्होंने अभियोजन अधिकारी के समक्ष बयान किया कि इनके द्वारा फैक्ट्री में विनिर्मित केबल लगभग समस्त बिक्री बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फरीदाबाद को ही की जाती है। बिक्री प्रक्रिया के बारे में श्री सिंह ने बयान किया कि रींगस स्थित फैक्ट्री में माल तैयार होने पर इनके द्वारा माल तैयार होने की सूचना बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर स्थित ब्रांच के टेक्नोकॉमर्शियल ऑफिसर श्री नीरज चौधरी को दी जाती है। तत्पश्चात बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जयपुर कार्यालय के निर्देश पर उनके ट्रांसपोर्टर TCI XPS द्वारा उक्त माल हमारी रींगस स्थित फैक्ट्री से भिजवाया जाता है तथा माल के संबंध में हमारी जिम्मेदारी फैक्ट्री परिसर में माल संभलवाने के साथ ही समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात बी.सी.एस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जयपुर कार्यालय निर्देशानुसार TCI XPS द्वारा बिल्टी बनाकर उनके (बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) जयपुर कार्यालय में भिजवाई जाती है तथा उक्त बिल्टी की छायाप्रति पर बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जयपुर कार्यालय के टेक्नोकॉमर्शियल ऑफिसर श्री नीरज चौधरी द्वारा माल प्राप्ति (Accpted) की मोहर अंकित कर हस्ताक्षर करके जयपुर में माल प्राप्ति की रसीद हमें दी जाती है। बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फरीदाबाद कार्यालय द्वारा भुगतान भिजवाया जाता है। इस प्रकार श्री सिंह ने अभियोजन अधिकारी के समक्ष जाहिर किया कि उनके द्वारा माल की डिलीवरी रींगस स्थित फैक्ट्री परिसर पर ही पूर्ण कर ली जाती है। तथा उनके द्वारा बिक्री की जाने वाली वस्तु पर घोषणा प्रपत्र वैट-49 पर लागू नहीं है। इनके द्वारा घोषणा प्रपत्र वैट-49 सिर्फ बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कहने पर ही दिया जाता है तथा उक्त वैट-49 पर बिल्टी संख्या इसलिये नहीं लिखी जाती क्योंकि बिल्टी इनके यहां से जारी नहीं होती है तथा इनको बिल्टी की प्राप्ति रसीद बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जयपुर कार्यालय में माल प्राप्ति (।बबचजमक) के बाद ही होती है। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जांच, दर्ज किये गये बयान तथा अन्य संबंधित साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन अधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया है कि करापवंचना की मंशा से व्यवहारी ने उक्त बिक्री अन्तरराज्यीय बिक्री के रूप में दर्शाया है। अतः अभियोजन अधिकारी ने आलौच्य अवधि में व्यवहारी के विरुद्ध रा.मू.प.क.अ., 2003 की धारा 25,55 व 61 के कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जांच/ऑडिट पश्चात् श्रीमान् उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 11.05.2012 के द्वारा पत्रावली निर्णय हेतु प्रतिकरापवंचन कार्यालय को स्थानांतरित की गई।





अपीलार्थी व्यवहारी की पत्रावली जांच/ऑडिट रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधि में प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत अभियोग पाया गया। दिनांक 14.05.2012 को प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया कि क्यों नहीं आलौच्य अवधि में की गई बिक्री को स्थानीय बिक्री मानते हुये नियमानुसार कर, ब्याज का आरोपण किया जाये तथा स्थानीय बिक्री होते हुये भी जानबूझकर उक्त बिक्री को अन्तरराज्यीय बिक्री दर्शाकर करापवंचन करने के कारण शास्ति आरोपित की जावे।

कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर कार्यालय द्वारा क्रय आदेश रजिस्टर की जांच कर पूर्व में ही प्राप्त क्रय आदेश के अनुसार माल का बिक्री बिल सैप सिस्टम द्वारा फरीदाबाद का बनाकर ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्टर की बिल्टी में From-Jaipur से To-Destination अंकित करवाकर बिल्टी में धारा 6(2) of CST Act endorse कर माल को मिलवाने के लिये ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिये जाते है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर कार्यालय को ही संभलाया जाकर रसीद प्राप्त कर ली जाती है। इसके पश्चात् बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा उसको प्राप्त पूर्व क्रय आदेशों के अनुसार बिल्टी में From-Jaipur से To-Destination अंकित कर दिया जाता है उदाहरण स्वरूप संख्या 126840475 में From-Reengus को काटकर X-Jpr तथा To-फरीदाबाद को काटकर Destination के लिसे अंकित कर दिया गया "Pls see the backside", उक्त बिल्टी दिनांक 28.04.2012 को बनायी गयी थी एवं दिनांक 30.04.2012 को बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि ने इस पर **accepted** अंकित करके उक्त बिल्टी के माल की जयपुर प्राप्ति की रसीद अपीलार्थी व्यवहारी को दी है। अपीलार्थी व्यवहारी के रींगस से जयपुर एवं जयपुर से आगे अन्य स्थानों तक समस्त माल का परिवहन उपरोक्त उल्लेखित **Modus Operandi** के जरिये किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा व्यवहारी से माल प्राप्त होने के पश्चात्, उसके पास मौजूद क्रय आदेशों के अनुसार माल को बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जयपुर कार्यालय से डिस्पेच किया जाता है। जयपुर कार्यालय द्वारा सैप सिस्टम के जरिये बिल फरीदाबाद का ही जारी किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि कर बचाने की नियत से TCI-XPS की रींगस से बिल्टी बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, फरीदाबाद की बनवा कर बिल्टी में काट-छांट कर उसी बिल्टी के माल की पुनः बिक्री दर्शायी जाती है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा डिस्पेच किये गये माल का **Appropriation** बी.सी.एच इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के जयपुर कार्यालय

—Suh—

—

द्वारा जयपुर में ही कर लिया जाता है। अतः व्यवहारी के गुड्स का मूवमेंट राज्य भीतर रींगस से जयपुर तक ही होना प्रमाणित होता है।

अतः व्यवहारी के गुड्स का मूवमेंट राज्य भीतर रींगस से जयपुर तक ही होना प्रमाणित होता है।


अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जो बिल जारी किया जाता है (उदहारण स्वरूप बिल संख्या 000066 दिनांक 28.04.2012) मेa Description of goods निम्न प्रकार अंकित किया जाता है:-


Sr.No.	Description of Goods	Coils (L)(M)	Qty (Nos.)
	Single Core-Flexible 1100 volts H.V. Lad. Cable		
1	ICx.0 Sq m- Cr.1-0010A-AAA-B-15,D-15, E-40	100	70
2.	ICx2.5 Sq m-CRO1-0025 A-AAA	100	10
3.	ICx6.0 Sq m-CRO1-C60 A-AAA	100	2.
4.	ICx10 Sq m-CRO1-C100 A-AAA	100	2
5	ICx16 Sq m-CRO1-0160 A-AAA	100	2
6	ICx35 Sq m-CRO1-C350 A-AAA	100	1

बी.सी.एच इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर द्वारा उपरोक्त माल को जयपुर कार्यालय के मैनेजर श्री नीरज चौधरी द्वारा दिनांक 30.04.2012 को जयपुर में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई बिल्टी संख्य 126840475 पर Accepted अंकित करने के बाद सैप सिस्टम द्वारा उपरोक्त माल का ही दिनांक 01.05.2012 को जो बिल जारी किया है उसमें उपरोक्त माल का Description निम्न प्रकार लिखा है:-

Sr. No.	Prpduct Description	Qiantity (Nos.)
1.	Cable Flex. PVC 1 Core 35 Sqmm 100 m 1100 V	1
2.	Cable Flex. PVC 1 Core 165 Sqmm 100 m 1100 V	2
3.	Cable Flex. PVC 1 Core 10 Sqmm 100 m 1100 V	2
4.	Cable Flex. PVC 1 Core 6 Sqmm 100 m 1100 V	2
5.	Cable Flex. PVC 1 Core 2.5 Sqmm 100 m 1100 V	10
6.	Cable Flex. PVC 1 Core 1.0 Sqmm 100 m Grey	40
7.	Cable Flex. PVC 1 Core 1.0 Sqmm 100 m Blue	15
8.	Cable Flex. PVC 1 Core 1.0 Sqmm 100 m Red	15

इससे स्पष्ट है कि रींगस से माल खाना होने से पूर्व अन्तरराज्जीय बिक्री हेतु माल जाने के लिये गुड्स का Specitication नहीं हुआ। अतः व्यवहारी द्वारा रींगस से बी.





सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर द्वारा गुड्स का Specification करके संबंधित क्रेता फर्म को माल अन्तरराज्जीय बिक्री के लिये खाना किया गया। इससे यह पुनः स्पष्ट होता है कि व्यवहारी द्वारा माल की बिक्री रींगस से बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर को की जाती है तथा व्यवहारी के माल का परिवहन भी रींगस से जयपुर तक ही होता है तथा जयपुर में बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा माल का Appropriation करने के साथ ही व्यवहारी के माल का परिवहन जयपुर में ही समाप्त हो जाता है।

उक्त प्रकरण में अपीलार्थी—व्यवहारी विक्रेता है तथा बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, फरीदाबाद क्रेता है जिनके बीच में केबल खरीद—बिक्री का अनुबंध है। इस अनुबंध की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित केबल का Appropriation राज्य (जयपुर) में ही हो जाता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की आलोच्य अवधि की बिक्री केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 4(2)(बी) से आच्छादित है जबकि दूसरी ओर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के अनुसार किसी भी व्यवहारी की बिक्री अन्तरराज्जीय तभी मानी जा सकती है तब "If the sale purchase occasion the movement of goods from one state to another" इस वाद के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, फरीदाबाद के द्वारा जयपुर में TCI XPS की बिल्टी पर Accepted अंकित कर constructive डिलीवरी ले ली जाती है तभी समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात् बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड के जयपुर कार्यालय द्वारा अपने क्रय आदेशों से संबंधित रजिस्टर के अनुसार माल का जयपुर से जहाँ माल जाना है, उस व्यवहारी का नाम एवं जगह का नाम बिल्टी में काट—छांट करके अंकित करवा दिया जाता है। बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड एवं TCI-XPS के मध्य में जो Transportation कर Agreement है (जिसकी छायाप्रति जवाब के साथ पेश गई है)। उक्त माल को Ex-Jpr से भारत के विभिन्न स्थानों पर माल भेजने के संबंध में है। इसमें रींगस से जयपुर माल के लिये अलग से clause है जिसका जयपुर से भारत के विभिन्न स्थानों पर भेजे जाने वाले माल के किराये एवं समयावधि का कोई संबंध नहीं है। इसी कारण TCI XPS द्वारा रींगस से जयपुर तक के माल के परिवहन के भाडे से संबंधित बिल पृथक से बनाया जाकर बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर को प्रस्तुत किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा बेचे जा रहे केबल का अन्तरराज्जीय गमनागमन जब बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड, जयपुर अपने क्रेता को बिल बना देता है तथा उसी के अनुसार बिल्टी में माल भेजने वाले स्थान एवं माल लाने वाले स्थान को अंकित करवाता है व स्वयं ही पूर्व में Consignor-E.C.P.L. Reengus-B.C.H. Electric Limited, फरीदाबाद अंकित होता है, में फरीदाबाद को कटवा देता है बी.सी.एच. इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा माल की डिलीवरी जयपुर में ही

54

ले ली जाती है। इसके पश्चात् From-Jaipur, To Destination अंकित करवाकर माल को उसके क्रेता के लिये अन्तर्राज्जीय भेजने के लिये माल को रवाना कर दिया जाता है। इस प्रकार बी.सी.एच इलेक्ट्रिक लिमिटेड जयपुर H.O. फरीदाबाद एवं उसके क्रेता के मध्य की बिक्री अन्तर्राज्जीय बिक्री है न कि व्यवहारी व बी.सी.एच इलेक्ट्रिक लिमिटेड, फरीदाबाद के मध्य अन्तर्राज्जीय बिक्री है।

प्रत्यर्थी द्वारा राज्य की बिक्री को कर बचाने की नियत से अन्तर्राज्जीय बिक्री दिखाया जा रहा है। इसके द्वारा जारी वैट-49 भी सब बी.सी.एच इलेक्ट्रिक लिमिटेड के जयपुर कार्यालय को दिये जाते हैं तथा वही रहते हैं। वह मात्र कर निर्धारण के समय अपने माल को अन्तर्राज्जीय गमनागमन दिखाने के लिये वैट-49 जारी किया जाता है।


उक्त कृत्य को कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन की श्रेणी में मानते हुये प्रत्यर्थी व्यवहारी के जवाब को अस्वीकार करते हुये अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 कर निर्धारण आदेश पारित कर निम्न तालिका के अनुसार कर ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित की :-

अपील संख्या	कर	ब्याज	शास्ति
1683 / 13	82,99,659 / -	25,72,894 / -	1,65,99,318 / -
1684 / 13	1,05,39,065 / -	20,02,422 / -	2,10,78,130 / -

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 07.11.2012 को अपास्त करते हुए आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त कर दिया। राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित पृथक-पृथक अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2013 से असन्तुष्ट होकर उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं स्थिति को नजरन्दाज करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि वक्त सर्वेक्षण व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पाया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी इलेक्ट्रिक केबल का निर्माण एवं विक्रय करता है तथा सम्पूर्ण विक्रय और उत्पादन बी एस एच इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ब्राच जयपुर को करता है, किन्तु राज्य के भीतर किये गये विक्रय को अन्तर्राज्जीय विक्रय दर्शाया है, जिससे करापवंचन प्रमाणित होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर एवं ब्याज तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित की गई हैं, जो पूर्णतः विधिक हैं। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक स्थिति पर विचार किये बिना





कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपास्त किया है, जो अविधिक है।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अविधिक बताते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने उक्त संव्यवहार से सम्बन्धित सी फार्म प्रस्तुत कर दिये थे। उन्होंने मैसर्स अशोक लीलेण्ड बनाम तमिलनाडु राज्य (2004) एस टी सी 473(515) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत किये गये संव्यवहार के अन्तर्गत यदि माल के गमनागमन एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाना अन्तर्राज्यिक बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की बिक्री हेतु माना जाता है तो इसको सिद्ध करने का दायित्व राजस्व का होगा, बशर्ते ऐसे प्रकरण में एफ फार्म पेश कर दिये गये हों। उक्त निर्णय के निम्न अंश को उन्होंने उद्धृत किया :-

"The particulars required to be furnished in form F clearly manifest that the proof required is as to whether the goods were factually transferred to the assessee himself or his branch office or his agent and not to any third party. Any other enquiry is beyond the realm of the assessing authority."

उन्होंने यह भी कथन किया कि वर्तमान प्रकरण में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र ई मेल के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को बगैर किसी सारगर्भित एवं स्वतंत्र जांच के अभियोग बनाने हेतु प्रयुक्त किया गया तथा व्यवहारी द्वारा उक्त बिक्री को केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 3ए के अन्तर्गत किये गये संव्यवहार के विरुद्ध प्राप्त सी प्रपत्रों को असत्य प्रमाणित नहीं किया गया है जैसा कि वर्तमान प्रकरण में मूल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण प्रकरण को पुनः सारगर्भित जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर किया जाता है कि वह पुष्ट प्रमाणों से उक्त संव्यवहार से राज्य के भीतर की गई बिक्री सिद्ध करें या प्रमाणित करें।

उनका कथन है कि अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के लिये क्रेता और विक्रेता के मध्य एक अनुबंध होना चाहिए तथा उस अनुबंध के अन्तर्गत माल का परिवहन (मूवमेंट) होना चाहिए। प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में क्रेता और विक्रेता के बीच लिखित अनुबंध है, जिसके अनुसरण में माल विक्रेता द्वारा क्रेता को अपने एजेन्ट/सहयोगी कार्यालय के माध्यम से प्रेषित हुआ है। इसमें सहयोगी जयपुर कार्यालय ने क्रेता के एजेन्ट या सहायक के रूप में कार्य किया है जो महज एक कन्ड्यूट पाइप (Conduit pipe) के रूप में कार्य किया है, इससे संव्यवहार की प्रकृति नहीं बदलती है, इन परिस्थितियों में संव्यवहार अन्तर्प्रान्तीय ही है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है जिसे माननीय कर बोर्ड ने भी अनुसरण कर यही सिद्धांत प्रतिपादित किया है।






इस बिन्दु पर कथन किया कि नियमित वृत्त-सीकर के कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली एवं उनके सम्मुख प्रस्तुत दस्तावेजों की बिना जांच किये ही विवादित करारोपण किया है जबकि सभी तथ्य एवं दस्तावेज पत्रावली में मौजूद थे। इस प्रकार दोहरा करारोपण प्रमाणित होता है। इस बिन्दु पर कथन किया कि पूर्व निर्धारित ISS को स्थानीय बिक्री प्रमाणित करने का दायित्व विभाग का है। स्थानीय व्यवहारियों से कोई जांच भी नहीं की है।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के तथ्यों को आधारहीन बताते हुये अपनी बहस को आगे बढ़ाते हुये पुनः कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा किये गये सभी संब्यवहारी अन्तर्प्रान्तीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में निर्णीत किया है कि अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के लिये क्रेता और विक्रेता के मध्य एक अनुबंध होना चाहिए तथा उस अनुबंध के अन्तर्गत माल का परिवहन (मूवमेंट) एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होना चाहिए। यदि क्रेता विक्रेता उक्त संब्यवहार के मध्य अपने एजेन्ट के माध्यम से भी बिक्री करते है तो भी एजेन्ट तो महज बीच में एक कन्ड्यूट पाई (Conduit pipe) के रूप में कार्य करता है जिससे अन्तर्प्रान्तीय बिक्री की मूल प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी सिद्धांत को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने अभिनिर्धारित कर पश्चात्वर्ती निर्णय प्रदान किये है। अपने कथन के समर्थन में (2002) सेल्स टैक्स टूडे 244 आरटीबी के खण्डपीठ निर्णय दिनांक 10.07.2002 मैसर्स कोरोन बिजनेस सिस्टम लि., बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन-प्रथम, जयपुर के निर्णय की प्रति पेश की। अन्ततः निवेदन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री संब्यवहारों की प्रकृति का निर्वचन पूर्णतः गलत आधारों एवं तथ्यों के आधार पर किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी बिक्री अन्तर्प्रान्तीय की है, जिसके समर्थन में घोषणा पत्रादि भी संबंधित नियमित कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये है। कर निर्धारण अधिकारी प्रतिकरापवंचन-प्रथम ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की उक्त अन्तर्प्रान्तीय बिक्री का राज्य की बिक्री विनिश्चित कर, कर निर्धारण किया है वह सुस्थापित विधि, माननीय शीर्ष न्यायालयों के वर्णित निर्णयों के सन्दर्भ में पूर्णतः अविधिक है जिसे अपास्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में (1987) 2 आरटीजेएस 140 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति पेश की। अपीलार्थी के द्वारा जारी कतिपय बिलों की छाया प्रतियाँ एवं ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जी.आर आदि भी पेश की है।

उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का अनुरोध किया।







उभय पक्षीय बहस सुनी जाकर अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में तथ्यों से बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलार्थी फर्म एवं मैसर्स बी.सी.एच., इलेक्ट्रॉनिक्स लि., फरीदाबाद के मध्य दिनांक 30.01.2009 को कारोबारी "Cooperation agreement" अनुबंध सम्पूरित है जिसके अंतर्गत अपीलार्थी ने क्रेता के ब्राण्ड नाम बी.सी.ए. के नाम माल का निर्माण कर बी.सी.एच. फरीदाबाद को सप्लाई किया है जो अभिलेख पत्रावली के पृष्ठ संख्या 5 से 9 तक दृष्टव्य है। क्रेता फर्म बी.सी.एच एवं मैसर्स टी.सी.आई. एक्स पी.एस के मध्य दिनांक 01.05.2009 को परिवहन करार (अनुबंध) हुआ है, जिसके अंतर्गत क्रेता के अनुबंध निर्देशानुसार मैसर्स टी.सी.आई. एक्स पी.एस अपीलार्थी फर्म कारोबारी स्थान रींगस जिला सीकर से Collection of Cosignments कर कर रींगस के क्रोसिंग ऑफिस जयपुर नियत किराये की दर से लाना है तत्पश्चात् तय किराये भी दरों अनुसार देश के विभिन्न भागों में उनके निर्देशानुसार परिवहनित करना है जो पृष्ठ संख्या 11 से 15 तक दृष्टव्य है। क्लॉज 8 के अनुसार क्रेता फर्म माल का मार्गस्थ बीमा एवं Composite marine risk policy से Covered होना भी बताया गया है यह भी तय किया गया है विक्रेता (अपीलार्थी) से माल सभालने के पश्चात् गंतव्य तक माल पहुंचाने एवं उसकी सुपुर्दगी तक की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट कर्ता (बेली) की है। माल विक्रय संव्यवहारों के समस्त विक्रय बिल (Excise Invoice) अपीलार्थी एवं क्रेता फर्म मैसर्स बी.सी.एच.लि., फरीदाबाद के बने है तथा इनकी बिलिटियाँ भी रींगस जिला सीकर, राजस्थान से फरीदाबाद की बनी हुयी है। क्रेता फर्म का सहयोगिक कार्यालय जयपुर में भी स्थित है जो उक्त अनुबंध के माल की सप्लाई के बाबत माल के प्रेषण की प्रगति, गुणवत्ता मात्रा एवं सौदे के पश्चातवर्ती कार्य यथा भुगतान घोषणा पत्रादि को समय पर यथा स्थिति के अनुसार पूर्णता लाने में क्रेता का सहयोग करता है। जयपुर स्थित कार्यालय के इन कार्यों को मध्यनजर रखते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त संव्यवहारों को राज्य के भीतर की बिक्री माना है। यहाँ अपीलार्थी के इस क्रेता फर्म मैसर्स बी.सी.एच.लि., फरीदाबाद के अनुबंधीय निर्देशानुसार माल डिस्पेच किया जाकर बेली (ट्रांसपोर्टर) रींगस जिला सीकर में दिया जाता है, यह माल ट्रांसपोर्टर (बेली) के क्रोसिंग कार्यालय जयपुर में आता है। जिसके दस्तावेजों का अवलोकन कर जयपुर सहयोगी ऑफिस उन पर स्वीकार अंकित कर भुगतान हेतु फरीदाबाद को सूचित किया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि माल का मूवमेंट (परिवहन) अनुबंध के अंतर्गत अपीलार्थी बेली को विक्रेता के निर्देशानुसार संभलवा देता है तत्पश्चात् अपीलार्थी विक्रेता की कोई रिस्क एवं जिम्मेदारी नहीं है।


माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 48 एस टी सी 232साउथ इण्डिया,विस्कोस बनाम तमिलनाडु राज्य में स्पष्ट किया है कि :-


Smy

"In order to constitute an inter-state sales as defined in section 3(a) of the act, two factors should co-exist-(i) a sale of goods and (ii) movement of goods from one state to another under the contract of sale. If there is a conceivable link between a contract of sale and the movement of goods from one state to the other in order to discharge the obligation under the contract of sale, the interposition of an agent of the seller who may temporarily intercept the movement ought not to talter the inter state character of the sale.....The interposition at a later state of the selling agent who acted on behalf of the appellant in the preparation of the invoice and the delivery of the goods would not alter the ture character of the sale as the selling agent was just a conduit pipe. The goods having been despatched from one state to another pursuant to a contract of sale which came into existence directly between the appellant and the buyer within a few days after the date of the allocation card, the sale was an inter-state sale."

60 एसटी सी 301 साहनी स्टील बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न मत प्रतिपादित किया है :-

"Even if, as in the present case, the buyer places an order with the branch office and the branch office communicated the terms and specifications of the order to the registered office and the branch office itself is concerned with the sales despatching, billing and receiving of the sale price, the conclusion must be that the order placed by the buyer is and order placed with the company, and for the purpose of fulfilling that order the manufactured goods commence their journey from the registered office within the state of Andra Pradesh to the branch office outside the State for delivery of the goods to the buyer. We must not forget that both the registered office and the branch office are offices to the same company, and that what in effect does take place is that the company from its registered office in Hyderabad takes the goods to its branch office outside the state and arranges to deliver then to the buyer. The registered office and the branch do not possess separate jurisdical personalities. The question really is whether the movement of the goods from the registered office at Hyderabad is occasioned by the order placed by the buyer or is an incident of the conatract. If it is so, as it appears no doubt to us, its movement from the very beginning from Hyderabad all the until delivery is received by the buyer is an inter-State movement.....In our opinion, that makes no difference at all. The manufacture of the goods at the Hyderabad factory and their movement thereafter from Hyderabad to the branch office outside the State was an incident of the contract entered into with the buyer, for which it was intended





that the same goods should be delivered by the branch office to the buyer. There was not break in the movement of goods."

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने उक्त संव्यवहार में सी फार्म प्रस्तुत कर दिये थे तथा मैसर्स अशोक लीलेण्ड बनाम तमिलनाडु राज्य (2004) एस टी सी 473 के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार व्यवहारी द्वारा यदि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत किये गये एफ फार्म से समर्थित संव्यवहार माल के गमनागमन को एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए अन्तर्राज्यिक बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की बिक्री हेतु माना जाता है तो इसको अन्यथा प्रमाणित(Proof required) करने का दायित्व राजस्व पर है।

वर्तमान प्रकरण में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र ई मेल के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को बगैर किसी सारगर्भित एवं स्वतंत्र जांच के अभियोग बनाने हेतु प्रयुक्त किया गया तथा व्यवहारी द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 3ए के अन्तर्गत किये गये उक्त संव्यवहार के विरुद्ध प्राप्त सी प्रपत्रों को असत्य प्रमाणित नहीं किया गया है जैसा कि वर्तमान प्रकरण में कर निर्धारण मूल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण प्रकरण को पुनः सारगर्भित जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर किया जाता है कि वह पुष्ट प्रमाणों से उक्त संव्यवहार को राज्य के भीतर की गई बिक्री सिद्ध करें या प्रमाणित करें कि यह किसी तृतीय पक्ष को की गई बिक्री है।

वर्तमान प्रकरण में राजस्व द्वारा उक्त अभियोग की पूर्ण जांच नहीं की गई है। राज्य के भीतर बिक्री प्रमाणित करने हेतु क्रेता के जयपुर स्थित आफिस को स्वयं बिक्री किया जाना नहीं जाहिर किया है तथा उसने अपने जयपुर स्थित कार्यालय को मात्र कान्ड्यूट के रूप में जाहिर किया है और सीकर स्थित फौक्ट्री से बाद उत्पादन उक्त माल का विक्रय हिसार प्रदर्शित स्थित फर्म को बताया, जिसके विरुद्ध विक्रेता द्वारा सी फार्म प्रस्तुत कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। जयपुर स्थित विक्रेता व्यवहारी का कार्यालय क्या माल फेसिलेटेड के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उक्त संव्यवहार में विक्रेता क्रेता पक्ष की भूमिका वहन कर रहा है, की पूर्ण विवेचना कर निर्धारण अधिकारी से अपेक्षित है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विद्वान अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त विवेचित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य